स्वत्व वाद संख्या 153/2022
दिनांक 07.11.2023

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

दिनांकः 07.11.2023 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 21.06.2023 को आदेश 22 नियम 4 एवं 9 तथा व्यवहार प्रकिया संहिता एवं धारा 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 वाशिष्ठ तिवारी की मृत्यु दिनांक 30.11.2022 को हो गयी है। उनका नाम काटते हुए उनके वारिसान उनकी पत्नी मनोज देवी एवं उनके दो लड़के लक्ष्मीकांत तिवारी, सुशील कुमार तथा लड़की सोनी कुमारी का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा किया जाए।

प्रतिवादी ने आवेदन का समर्थन करते हुए कहा कि मामले में उन्हें प्रतिस्थापित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है अतः आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद 1 वर्ष पुराना है वादी के आवेदन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 वाशिष्ठ तिवारी दिनांक 30.11.2022 को अपने वारिसान को छोड़कर मर गये । उन्होंने अपने पीछे उनकी पत्नी मनोज देवी एवं उनके दो लड़के लक्ष्मीकांत तिवारी, सुशील कुमार तथा लड़की सोनी कुमारी को छोड़कर मर गये। यह कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान को पक्षकार बनाना आवश्यक है अतः प्रतिवादी संख्या 1 वाशिष्ठ तिवारी के स्थान पर उनके नाम को कलमजद करते हुए उनके वारिसान उनकी पत्नी मनोज देवी एवं उनके दो लड़के लक्ष्मीकांत तिवारी, सुशील कुमार तथा लड़की सोनी कुमारी को प्रतिस्थापित किया जाता है। मामले में चूंकि आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है और प्रतिवादी ने भी इस पर किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं दर्ज करायी अतः न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है वादी को निर्देश दिया जाता है कि अग्रिम तिथि तक मरम्मती संबंधी समस्त प्रक्रिया पूर्ण करें और एतद द्वारा यह आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक ....वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।